न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 05/2021 आर्म्स अपील (GCMS/2021/76)
पंजीयन दिनांक - 02.08.2021
निर्णय दिनांक - 06.12.2021

1. **श्री अशोक कुमार बाछड़ा पिता श्री मांगीलाल, निवासी चरलिया, तहसील, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल - अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरुद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2021/5549-53 दिनांक 04.03.2021

निर्णय

दिनांक 06.12.2021

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2021/5549-53 दिनांक 04.03.2021 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री अशोक कुमार बाछड़ा पिता श्री मांगीलाल, निवासी चरलिया, तहसील, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ द्वारा उसके पिता श्री मांगीलाल के नाम जारी आर्म्स अनुज्ञा पत्र को स्वयं के नाम स्थानान्तरण बाबत आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ समक्ष प्रस्तुत किया।

- उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागीय रिपोर्ट प्राप्त की गई, प्राप्त रिपोर्ट एवं आवेदन में दिये तथ्यों के अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय यह पाया गया कि प्रस्तुत आवेदन में शस्त्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई कारण अथवा टिप्पणी नहीं की है। जिससे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा आर्म्स अनुज्ञा पत्र संबंधी आवेदन पत्र औचित्यपूर्ण नहीं होने से सक्षम स्तर से

खारिज करने का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2021/5549-53 दिनांक 04.03.2021 पारित किया।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्याालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए यह अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ता दिनांक 06.12.2021 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के पिता मांगीलाल जी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम चरलिया में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि गांव के बस्ती क्षेत्र से दूर स्थित है, जिससे स्वयं की सुरक्षा और कृषि उपज एवं पशु की सुरक्षा हेतु अपीलान्ट के पिता श्री मांगीलाल बाछड़ा द्वारा आर्म्स लाईसेंस प्राप्त किया जिसका नवीनीकरण दिनांक 31.12.2018 तक रहा। इस नवीनीकरण अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही अपीलांट के पिता का निधन हो जाने की वजह से लाईसेंसशुदा हथियार राज्य सरकार के यहां कानूनन जमा करा दिया। अपीलार्थी उसके पिता से विरासत से प्राप्त भूमि पर पूर्व की ही भांति कृषि कार्य कर रहा है। उक्त भूमि आबादी से दूर होकर जंगल के पास में होने से फसल चोरी होने एवं जंगली जानवरों द्वारा हमला करने की घटनायें होते रहने अपीलान्ट द्वारा उक्त अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ समक्ष आवेदन दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त रिपोर्ट में संबंधित द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्रदान किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवेदन को खारिज करने में कोई युक्तियुक्त एवं विधिक कारण का उल्लेख नहीं किया। उक्त आवेदन में अलग से लाईसेंस चाहने की कलम नहीं होने से उक्त विशिष्टता का अंकन करना नहीं हुआ। उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 04.03.2021 को किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा नकल आदेश दिनांक 01.04.2021 को नकल आदेश की प्रति प्राप्त हुई लेकिन कोरोना महामारी के दृष्टिगत अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिससे प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार एवं नियमों के विरूद्ध निरस्त कर दिया। अतः उक्त आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

अपीलार्थी द्वारा मयाद बाधित अपील के संबंध में अपना कथन प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 04.03.2021 को किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा नकल आदेश दिनांक 01.04.2021 को नकल आदेश की प्रति प्राप्त हुई लेकिन कोरोना महामारी के दृष्टिगत अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिससे प्रश्नगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2021 को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 15.03.2020 से 02.10.2021 तक अपील प्रस्तुतीकरण में देरी के सम्बन्ध में मयाद की गणना न करने हेतु निर्देशित किया। उक्त सूचना पत्र एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्यव्यापी लॉकडाउन के दृष्टिगत प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निम्नानुसार निस्तारित की जा रही है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद तथ्य प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पिता को आर्म्स लाईसेंस वर्ष 1984 से जारी कर दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकरण किया गया। अपीलार्थी के पिता के देहावसान उपरान्त अपीलार्थी द्वारा उसके पिता को जारी आर्म्स अनुज्ञा पर विरासत के उसके नाम दर्ज करने बाबत आवेदन निर्धारित प्रारूप में भर अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं इन्द्राज पुर्ण किये गये है। उक्त आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा सभी संबंधित विभागों से नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें सभी विभागों द्वारा अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र जारी करने में अनापत्ति प्रस्तुत की गई, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा शस्त्र स्थानान्तरण के कारणों का उल्लेख नहीं होने से आवेदन निरस्त कर दिया जबकि उपखण्ड अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी को आत्मरक्षा व कृर्षि रखवाली हेतु अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित माना है। दौराने बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दृढ़ता से कथन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा उन्ही कारणों से अनुज्ञा पत्र स्थानान्तरित किये जाने का आवेदन किया जिन कारणों से अपीलार्थी के पिता को अनुज्ञा पत्र जारी किया गया, अपीलार्थी व उसके पिता का कृषि व्यवसाय होकर अफीम की खेती की जाती है, जिसकी सुरक्षा हेतु अनुज्ञा पत्र पूर्व में जारी किया और दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकृत किया गया। आर्म्स रूल्स् 2016 की नियम 12(3)(क) अनुसार अनुज्ञापन अधिकारी कोई अनुज्ञपित प्रदान करने के लिए पुलिस रिपोर्ट पर और अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर किसी व्यक्ति जो अपने कारोबार, वृत्तिक या धन्धा की प्रकृति द्वारा अपने जीवन/सम्पत्ति की सुरक्षा की वास्तविक अपेक्षा के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर सकेगा। यह न्यायालय पाता है कि जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी के उक्त कथनों एवं प्रकरण के इन तथ्यों पर उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत कोई विचार नहीं किया गया और अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं समझता है और यह पाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पर पुनः जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना उचित है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश/निर्णय को निरस्त किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को प्रकरण

प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर